



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6459

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 17535 वर्ष 2025

राजेश कुमार द्विवेदी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आयुषी द्विवेदी, सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज न्यायालय में दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं और उन्हें परिशिष्ट 'X' और 'Y' के रूप में चिह्नित किया गया है।
2. याचिकाकर्ता की ओर उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे कर रहे थे, और राज्य की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल की दलीलें सुनीं।
3. श्री एस.के. पाल, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय में कहा है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और वे मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से, याचिका का प्रारंभिक चरण में निपटारा किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिसंबर 2008 में उनका चयन और नियुक्ति वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर हुई थी। इसके बाद, वर्ष 2014 में उन्हें सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर के पद पर पदोन्नत किया गया और 7 जुलाई 2025 को उप आयुक्त बिक्री कर के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके बाद उन्हें आगरा के सेक्टर 2 में उप आयुक्त के पद पर तैनात किया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि 21 सितंबर 2023 से 10 जुलाई 2025 की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता गोरखपुर के सेक्टर द्वितीय में सहायक आयुक्त के पद पर तैनात थे, साथ ही उन्हें सेक्टर तृतीय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. 30.10.2025 को, प्रथम प्रतिवादी, अर्थात्, संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-प्रथम, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी अनुशासन नियम 1999 के तहत कार्यवाही शुरू करते हुए रिट याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया।

6. निलंबन आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई कदाचार नहीं किया है जिससे अनुशासनात्मक प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को निलंबित करने का अधिकार मिल सके। उनका निवेदन है कि सहायक आयुक्त के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए याचिकाकर्ता सतर्क रहे और जैसे ही उन्हें मेसर्स तिवारी इंटरप्राइजेज, मेसर्स दिनेश इंटरप्राइजेज और मेसर्स हिमांशु ट्रेडर्स नामक फर्मों के अस्तित्वहीन होने की प्रतिकूल रिपोर्ट मिली, उन्होंने तुरंत इन फर्मों के निलंबन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए। उनका कहना है कि मेसर्स हिमांशु ट्रेडर्स फर्म के संबंध में, 5 मई 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उक्त फर्म से यह बताने को कहा गया था कि उसका जीएसटी पंजीकरण रद्द क्यों न किया जाए और इसके साथ ही, उसी दिन जीएसटी पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा, मेसर्स दिनेश इंटरप्राइजेज फर्म के संबंध में भी 9 जुलाई 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और जीएसटी पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, जहां तक मेसर्स तिवारी इंटरप्राइजेज का संबंध है, 01.07.2024 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह बताने को कहा गया था कि जीएसटी पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाए।

8. यह तर्क दिया गया है कि सहायक आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए याचिकाकर्ता ने पूरी लगन और तत्परता से कार्य किया और उन पर अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने या किसी प्रकार का कदाचार करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नियमों, विनियमों या परिपत्रों के अनुसार जो भी करना आवश्यक था, वह किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को आगरा में उपायुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है और इसलिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध उक्त आरोप नहीं लगाए जा सकते, जो गोरखपुर में वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त के रूप में उनकी तैनाती से संबंधित हैं। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अंततः तीनों फर्मों के जीएसटी अनुज्ञप्ति क्रमशः 10.07.2025, 24.07.2025 और 24.10.2024 को रद्द कर दिए गए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मेसर्स तिवारी इंटरप्राइजेज और मेसर्स हिमांशु इंटरप्राइजेज के विरुद्ध 30.12.2024 और 12.06.2025 को तथा मेसर्स दिनेश इंटरप्राइजेज के विरुद्ध



16.10.2025 को दंड आदेश जारी किए गए थे। उनका कहना है कि इन तीनों फर्मों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। अंत में, यह तर्क दिया गया है कि आरोपों को सत्य मान लेने पर भी केवल मामूली सजा ही दी जा सकती है और इसलिए बड़ी सजा देने की संभावना न होने के कारण निलंबन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता विभागीय कार्यवाही का सामना करने से नहीं हिचकिचाता है, लेकिन निलंबन आदेश को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह निराधार है और वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इन तर्कों का खंडन करते हुए, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने कदाचार किया है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास कदाचार के सिद्ध होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं, जिससे याचिकाकर्ता को निलंबित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक जांच में भाग लेना चाहिए, जिसमें पूरी सच्चाई सामने आएगी।

10. मैंने न्यायालय में दिए गए सभी तर्क सुने और अभिलेख का अध्ययन किया। तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता, जो वर्ष 2014 से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर कार्यरत थे, को 7 जुलाई 2025 को उप आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया और उनका स्थानांतरण आगरा कर दिया गया। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को 21 सितंबर 2023 से 10 जुलाई 2025 तक सेक्टर-द्वितीय, गोरखपुर में सहायक आयुक्त के पद पर तैनात किया गया था, साथ ही उन्हें सेक्टर-तृतीय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।

11. निलंबन आदेश को सरसरी तौर पर देखने से ही पता चलता है कि आरोप यह है कि तीन फर्मों, अर्थात्, मेसर्स तिवारी इंटरप्राइजेज, मेसर्स दिनेश इंटरप्राइजेज और मेसर्स हिमांशु इंटरप्राइजेज ने जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और उन्हें मान्यता प्राप्त हो गई थी, जिसके तहत जीएसटी पंजीकरण प्रदान किया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा फर्मों के अस्तित्व की पुष्टि के लिए निरीक्षण भी किया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे याचिकाकर्ता के समक्ष रखा गया था, जो सहायक आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। संदर्भ के लिए, एक सारणीबद्ध चार्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथियां, मान्यता प्राप्त स्वीकृति की तिथि, तथ्य-जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि,



कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि, जीएसटी अनुज्ञप्ति रद्द करने की तिथि और संबंधित डीलर द्वारा आक्षेपित क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की तिथि दर्शाई गई है:

क्र. सं.	फर्म का नाम	जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि	जीएसटी पंजीकरण के मान्यता प्राप्त अनुमोदन की तिथि	प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि	सहायक आयुक्त (याचिकाकर्ता) को तथ्य-जाँच की सूचना की तामील की तिथि	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि	जीएसटी पंजीकरण के निलंबन की तिथि	जीएसटी अनुज्ञप्ति रद्द करने की तिथि	आईटीसी का दावा करने की तिथि
1.	मेसर्स तिवारी इंटरप्राइजेज	18.03.2024	18.04.2024	21.06.2024	21.06.2024	01.07.2024	शून्य	24.10.2024	20.09.2024 और 20.10.2024
2.	मेसर्स हिमांशु ट्रेडर्स	27.12.2024	12.01.2025	15.02.2025	15.02.2025	05.05.2025	05.05.2025	10.07.2025	20.03.2025
3.	मेसर्स दिनेश इंटरप्राइजेज	27.12.2024	12.01.2025	15.02.2025	15.02.2025	09.07.2025	09.07.2025	24.07.2025	18.02.2025

12. ऊपर उल्लिखित सारणीबद्ध चार्ट को देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता को 21.06.2024 को मेसर्स तिवारी इंटरप्राइजेज के मामले में, 15.02.2025 को मेसर्स हिमांशु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ट्रेडर्स के संबंध में और 15.02.2025 को मेसर्स दिनेश इंटरप्राइजेज के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट की जानकारी दी गई थी। हालांकि, तिवारी इंटरप्राइजेज के मामले में, 01.07.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, फिर भी फर्म का जीएसटी पंजीकरण निलंबित नहीं किया गया था। उसका पंजीकरण 24.10.2024 को रद्द किया गया। इससे पहले, फर्म ने धोखाधड़ी से 20.09.2024 और 20.10.2024 को 20,776,803 रुपये का आईटीसी(इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा किया था।

13. हिमांशु ट्रेडर्स के संबंध में, प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट 15.02.2025 को याचिकाकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जीएसटी अनुज्ञप्ति को 05.05.2025 को कारण बताओ नोटिस के साथ निलंबित कर दिया गया था और 10.07.2025 को रद्द कर दिया गया था। हालांकि, इससे पहले, 20.03.2025 को, हिमांशु ट्रेडर्स ने धोखाधड़ी से 19,438,557 रुपये का आयकर कर (आईटीसी) दावा किया था।

14. अंत में, मेसर्स दिनेश इंटरप्राइजेज के संबंध में, प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट 15.02.2025 को रिट याचिकाकर्ता के समक्ष रखी गई थी। जीएसटी अनुज्ञप्ति को 09.07.2025 को कारण बताओ नोटिस के साथ निलंबित कर दिया गया था और 24.07.2025 को जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। इससे पहले, 18.02.2025 को, अस्तित्वहीन फर्म द्वारा 19,309,320 रुपये का आयकर कर (आईटीसी) दावा किया गया था।

15. प्रथम दृष्टया उपरोक्त घटनाक्रम से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता की लापरवाही के कारण ही अभिलेख पर प्रतिकूल रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद तिवारी इंटरप्राइजेज का जीएसटी अनुज्ञप्ति निलंबित नहीं किया गया। हिमांशु ट्रेडर्स और दिनेश इंटरप्राइजेज के संबंध में, हालांकि प्रतिकूल रिपोर्ट 15.02.2025 को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन कारण बताओ नोटिस क्रमशः 05.05.2025 और 09.07.2025 को जारी किए गए। निलंबन आदेश से पहले ही, 20.03.2025 और 18.02.2025 को धोखाधड़ी से आईटीसी का दावा किया गया था।

16. न्यायालय की राय में, प्रथम दृष्टया, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए अभिलेखों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इस स्तर पर न्यायालय को विभागीय कार्यवाही से संबंधित तथ्यात्मक मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यह निवेदन कि याचिकाकर्ता को उपायुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है और अब वह गोरखपुर में तैनात नहीं है, याचिकाकर्ता को निलंबित न करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं करता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. तदनुसार, निलंबन के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया जाता है। रिट याचिका का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

- i. अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन और समापन करे।
- ii. याचिकाकर्ता विभागीय कार्यवाही में भाग लेगा और उसे नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

अनुराग/-